schedule I—Form No. 91.

Form No. 78 (Rule 408) at page 890 of the Settlement Manual, 1927.

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना।

रैयती खतियान।

नाम मौजा नगर पालिका सरायकेला　　परगना　　तौजी नम्बर　　जिला सिंहभूम

नाम थाना चाडि न० २　　थाना नम्बर

खतियान का सिलसिलेवार नं०	नाम मसामी, पिता का नाम, जाति व वासस्थान।	खेत।		किस्म जमीन।	रकबा।		कैफियत।	लगान। बेलगान खेतों के निस्बत लिखो कि किस शर्त पर दखलकार है।		(१) मवंयत, गैर दाखिलकार रैयत के कबजे की मुद्दत। (२) तरीका ठहराने लगान यो बरापत लगान अगर होले-होले बढ़ता हो। (३) खास शर्तें अगर कोई हों।
		खेसरा नम्बर।	चौहद्दी।		ए०	डी०		हाकिम के तहकीकात मोताबिक लगान।	ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो।	
११६	प्रसन्नो कुमार आचार्य पिता राजेन्द्र आचार्य।	५८४	उ० अग्रसेन्दु द० रानीमुखरा	दोयम दो कि० १२	४-	१५	है आ० दो १ ६६१ Bhubaneswar Pd Acharya Kanti [illegible] Anjali Acharya	काबिल लगान		(१) कायमी

प्रमाणित किया जाता है कि यह स्वत्व अभिलेख
जो [illegible] अधिनियम 1885 की
धारा 83(?) [illegible] बिहार [illegible]
सर्वेक्षण अधिनियम [illegible] की धारा 10 (i)
के [illegible] किया गया तथा जिसका
दिनांक 21 अगस्त 1972 को अन्तिम प्रकाशन
किया गया, की सही प्रति है।
अन्तिम प्रकाशन प्रमाणपत्र दि० 25 अगस्त 1972
को हस्ताक्षरित हुआ।

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सिंहभूम।

ज०शो